कार्यालय
अधिशासी अभियन्ता,
राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लो0नि0वि0,
बड़कोट (उत्तरकाशी)।

Website- http://pwd.uk.gov.in

e-mail:-eenhpwdbarkot@gmail.com
दूरभाष / फैक्स नं0 01375–224426

पत्रांक 1325 /08अ0 अ0 (चार धाम) दिनांक 03/11/2020

सेवा में

प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग
कोटबंगला, उत्तरकाशी ।

विषयः– चार धाम परियोजना (ऑल वेदर रोड) के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–94 (134) के कि0मी0 0.00 से कि0मी0 24.300 (धरासू बैण्ड से सिलक्यारा बैण्ड) तक दो लेन चौड़ीकरण हेतु अतिरिक्त डम्पिंग स्थल एवं लैण्ड स्लाईड जोन के उपचार के लिए 5.969 है0 वन भूमि प्रस्ताव में प्राप्त सैधान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या के सम्बन्ध में।
Parposal No-(FP/UK/ROAD/36902/2018)

संन्दर्भः– **(i).** **कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर केंद्रीय क्षेत्र) देहरादून के पत्र संख्या 8 बी/यू.सी.पी./06/155/2019/एफ.सी./773, दिनांक 29-07-2020 द्वारा प्राप्त सैधान्तिक स्वीकृति ।**

(ii). **कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी का मांग पत्र 651/12-1, कोटबंगला दिनांक- 11/08/2020**

महोदय

उपरोक्त विषयक कार्य हेतु सदर्भित पत्र संख्या (i) के द्वारा 5.969 है0 वन भूमी का गैर वानिकी कार्यो हेतु प्रत्यावर्तन की सैधांतिक स्वीकृति भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा दी गयी थी । उक्त स्वीकृति मे उल्लेखित शर्तो /प्रतिबन्धो की बिन्दुवार अनुपालन आख्या निम्नवत है -

क्र0 सं0	**शर्ते /प्रतिबन्ध/आपत्ति**	**अनुपालन आख्या**
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	इस शर्त का अनुपालन किया जायेगा ।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमी प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमी सौंपी जाएगी ।	इस शर्त का अनुपालन किया जायेगा ।
3	**प्रतिपूरक वनीकरण :** (क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 11.94 है0 अवनत वन भूमि नगुणगाड क0 स0 3 बी0 पर प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा । जहाँ तक व्यवहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाये तथा प्रजातियों की एकल कृषि से बचें ।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 5.969 हे0 भूमी के सापेक्ष आरक्षित वन क्षेत्र 11.94 हे0 प्रतिपूरक वनीकरण हेतु लिया गया था, परन्तु भारत सरकार के EDS दिनांक -30.06.2020 द्वारा आपत्ति संख्या-11 के अनुसार 2 हे. MDF मे होने के कारण 2 हे. अतिरिक्त क्षेत्रफल लेते हुए प्रतिपूरक वनीकरण हेतु कुल क्षत्रफल 13.94 हे0 अर्थात 14 हे0 लिया गया है। जिस हेतु प्रभागीय वनाधिकारी उत्तरकाशी से उक्त संदर्भित पत्र संख्या (ii) दिनांक 11.08.20 से प्राप्त मांगपत्र द्वारा रू0 79,47,610.00 की राशी जमा करा दी गई है **(संलग्नक-1)** यह भी अवगत करना है की पूर्व मे प्रतिपूरक वनीकरण के लिए चयनित स्थल धरासू रेंज मे नगुणगाड कक्ष संख्या 4B मे है, जो की सैधांतिक स्वीकृति मे बिन्दु संख्या 3 के (क) मे त्रुटिवश कक्ष संख्या 3B अंकित किया गया है ।

	(ख) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी. ए. क्षेत्र पर पूर्व मे किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नही किया गया है ।	इस शर्त की अनुपालन आख्या प्रभागीय वनाधिकारी उत्तरकाशी द्वारा दी जाएगी ।
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमी पर, यदि आवश्यक हो , तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरो पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी । प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षो तक अनुरक्षित किया जायेगा । इस योजना मे भविष्य में निर्धारित कार्यो के लिए प्रतियाशित लागत वृद्धी हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किये जा सकते है ।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 5.969 हे० के सापेक्ष आरक्षित वन क्षेत्र 13.94 हे० प्रतिपूरक वनीकरण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु प्रभागीय वनाधिकारी उत्तरकाशी से दिनांक -11.08.20 को प्राप्त मांग पत्र पर रू० 79,47,610.00 की धनराशी दिनांक 21.10.2020 को जमा करा दी गई है । **(संलग्नक-1)** तथा इस शर्त का अनुपालन किया जायेगा ।
5	**शुद्ध वर्तमान मूल्य:** (क) इस सम्भंद मे भारत के मा० सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या : 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालयद्वारा पत्रांक 5-1/1998-एफ.सी. (Pt. 2) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006-एफ. सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 5.969 हे० वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी ।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त मे आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी. वी.) की डिमांड रू० 39,21,633.00 प्रभागीय वनाधिकारी उत्तरकाशी से प्राप्त जमा करा दी गई है **(संलग्नक-1)**
	(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमी के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशी, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा । प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा	इस शर्त के अनुपालन हेतु शपथपत्र पृथक से प्रेषित है **(संलग्नक-2)**
6	प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या 154 पेड़ होगी तथा न्यूनतम वृक्षों का पातन किया जायेगा ।	इस शर्त का अनुपालन किया जायेगा ।
7	It will be the responsibility of the state government / user agency for strict compliance of the decision /condition/ suggestion imposed by the High Power Committee (HPC) constituted by the MoEF&CC as per the direction of Hon'ble Supreme court order dated 08.08.2019 in M.A Nos.2678-2680 of 2018 I civil appeal Nos.8515-8520 of 2018 and contempt petition (.c) No.423 of 2019 in civil appeal no.10930 of 2018.	इस शर्त का अनुपालन किया जायेगा ।

<table>
<tr><td>8</td><td>State Government will upload the detail of related proposal at Para B in Part-I.</td><td>
<table>
<tr><th colspan="8">List of proposal submitted in Past</th></tr>
<tr><th>Sl. no</th><th>Proposal Status.</th><th>Proposal No.</th><th>Moef File No.</th><th>Area Proposed for Diversion (Ha.)</th><th>Area Diverted (Ha.)</th><th>Date of In-Principle Approval</th><th>Date of Final Approval</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Pending at RO MoEF (Stage-II)</td><td>FP/UK/ROAD/24549/2017</td><td>08B/UCP/06/34/2017/FC/1065. Dtd-22/09/2017</td><td>16.971 Ha.</td><td>16.971 Ha.</td><td>22/09/2017</td><td></td></tr>
</table>
Details of related proposal (24549) seeking prior approval of Central Government under the Act for diversion of forest land for the Project cannot be mentioned in Part-I, Para-B-1 due to unavailability of option to fill any detail online. Details of related proposal (24549) already uploaded online. Details of related proposal as given below.</td></tr>
<tr><td>9</td><td>In the SIR, DFO has mentioned that swell factor has not been calculating in MDP. State government may submit the muck disposal plan duly authenticated by DFO providing the details of muck likely to be generated. Muck proposed to be utilized, balance muck for disposal at identified muck disposal sites, swell factor and muck already disposed at the muck disposal sites identified in the approved proposal. The carrying capacity of the muck dumping site proposed along with safety measure and rehabilitation / eco-restoration plan and distance from river, if any is also required to be intimated.</td><td>Quantity of muck as per muck disposal plan has been already uploaded considering the swell factor. Copy of Muck Disposal Plan is attached. (Annexure-3)</td></tr>
<tr><td>10</td><td>Revised site inspection report of DFO as submitted and discussed in the meeting is required to be uploaded online at Para 15 of Part II by the state govt.</td><td>Revised site inspection report of DFO is attached. (Annexure-4)</td></tr>
<tr><td>11</td><td>State govt. will inform to this office if the pass any order for tree cutting and commencement of work before stage II approval as per guidelines para 11.2. The state govt. will strictly monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue such permission.</td><td>इस शर्त का अनुपालन किया जायेगा ।</td></tr>
<tr><td>12</td><td>परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई -पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपुरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फण्ड मे स्थानांतरित / जमा किये जायेंगे ।</td><td>प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से वनाधिकारी उत्तरकाशी से प्राप्त डिमांड नोट अपलोड कर एवं नोडल अधिकारी से सत्यापित हो जाने के बाद रू0 79,47,610.00 (एन. पी. वी. हेतु रू 39,21,633.00 एवं क्षतिपुरक वृक्षारोपण हेतु रू 40,25,977.00) का चालान जनरेट कर डिमांड धनराशी को उत्तराँचल कैम्प मे दिनांक -21.10.2020 को जमा करा दी गई है । (संलग्नक-1)</td></tr>
<tr><td>13</td><td>एफ.आर.ए., 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बंदित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा ।</td><td>इस शर्त के अनुपालन हेतु एफआरए का प्रमाण पत्र (प्रमाणित प्रति) प्रेषित है (संलग्नक-1)</td></tr>
<tr><td>14</td><td>प्रयोक्ता अभिकरण आई आर सी मानदंडो के अनुसार सड़क के दोनों किनारों एवं उसके बीचों बीच पौधों की संख्या बढाएगा ।</td><td>इस शर्त का अनुपालन किया जायेगा ।</td></tr>
<tr><td>15</td><td>संरक्षित क्षेत्रो / वन क्षेत्रो में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साईनेज़ लगाये जायेंगे ।</td><td>इस शर्त का अनुपालन किया जायेगा ।</td></tr>
</table>

16	पर्यावरण (सरंक्षण) अधिनियम , 1986 के प्रावधान के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावर्णीय स्वीकृति प्राप्त करेगा ।	इस शर्त का अनुपालन किया जायेगा ।
17	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले - आउट प्लान नही बदला जायेगा ।	इस शर्त का अनुपालन किया जायेगा ।
18	वन भूमी पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नही करेगा ।	इस शर्त का अनुपालन किया जायेगा ।
19	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य क़ानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी , विशेषत वैकल्पिक ईधन दिया जायेगा ।	इस शर्त का अनुपालन किया जायेगा ।
20	सम्बंधित प्रभागीय वनाधकारी के निर्देशानुसार , प्रत्यावर्तित वन भूमी की सीमा को परियोजना लागत पर भूमी पर सीमांकन किया जायेगा ।	इस शर्त का अनुपालन किया जायेगा ।
21	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नही बनाया जायेगा ।	इस शर्त का अनुपालन किया जायेगा ।
22	इस अनुमोदन मे प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष मे मिली लीज़ की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ , जो भी कम हो , लक्षित किया जायेगा ।	इस शर्त का अनुपालन किया जायेगा ।
23	वन भूम का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव मे विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नही किया जायेगा ।	इस शर्त का अनुपालन किया जायेगा ।
24	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमी किसी भी परिस्थिति मे किसी भी अन्यो एजेंसियों , विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नही की जाएगी ।	इस शर्त का अनुपालन किया जायेगा ।
25	इनमे से किसी भी शर्त का उलंघन वन (सरक्षण) अधिनियम , 1980 का उलघंन होगा एवं पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी ।	इस शर्त का अनुपालन किया जायेगा ।
26	पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवो के सरक्षण व विकास के हित मे समय -समय पर निर्धारित शर्ते लागु होगी ।	इस शर्त का अनुपालन किया जायेगा ।
27	परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधकारी की देख रेख मे किया जायेगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यंत्र मलवा नही फेका जायेगा ।	इस शर्त का अनुपालन किया जायेगा ।
28	यदि कोई अन्य सम्बंधित अधिनियम / अनुछेद / नियम / न्यायालय आदेश / अनुछेद आदि इस प्रस्ताव पर लागु होते हो तो उनके अधीन जरुरी अनुमति लेना राज्य सरकार / प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेदारी होगी ।	इस शर्त का अनुपालन किया जायेगा ।

29	अनुपालन आख्या ई - पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) पर अपलोड की जाएगी।	इस शर्त का अनुपालन किया जायेगा।

संलग्नक :- (1) उपरोक्तानुसार 1 से 5 तक

(2) धनराशी जमा करने हेतु मांग पत्र

(3) सैधांतिक स्वीकृति पत्र

अधिशासी अभियन्ता
रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0,
बड़कोट (उत्तरकाशी)

प्रतिलिपि :- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल नोडल अधिकारी , वन संरक्षण , इंदिरा नगर फारेस्ट कालोनी , देहरादून को सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित की अग्रिम अवशक कार्यवाही करने की कृपा करें।

अधिशासी अभियन्ता
रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0,
बड़कोट (उत्तरकाशी)

कार्यालय
अधिशासी अभियन्ता,
राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लो0नि0वि0,
बड़कोट (उत्तरकाशी)।

Website- http://pwd.uk.gov.in

e-mail:-eenhpwdbarkot@gmail.com
दूरभाष / फैक्स नं0 01375–224426

पत्रांक 1325 / 08 भू०अ० (चारधाम)

दिनांक 03 / 11 / 2020

सेवा में

प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग
कोटबंगला, उत्तरकाशी ।

विषयः– चार धाम परियोजना (ऑल वेदर रोड) के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–94 (134) के कि0मी0 0.00 से कि0मी0 24.300 (धरासू बैण्ड से सिलक्यारा बैण्ड) तक दो लेन चौड़ीकरण हेतु अतिरिक्त डम्पिंग स्थल एवं लैण्ड स्लाईड जोन के उपचार के लिए 5.969 है0 वन भूमि प्रस्ताव में प्राप्त सैधान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या के सम्बन्ध में।

Parposal No-(FP/UK/ROAD/36902/2018)

संन्दर्भः– (i). कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर केंद्रीय क्षेत्र) देहरादून के पत्र संख्या 8 बी/यू.सी.पी./06/155/2019/एफ.सी./773, दिनांक 29-07-2020 द्वारा प्राप्त सैधान्तिक स्वीकृति ।

(ii). कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी का मांग पत्र 651/12-1, कोटबंगला दिनांक- 11/08/2020

महोदय

उपरोक्त विषयक कार्य हेतु सदर्भित पत्र संख्या (i) के द्वारा 5.969 है0 वन भूमी का गैर वानिकी कार्यो हेतु प्रत्यावर्तन की सैधांतिक स्वीकृति भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा दी गयी थी । उक्त स्वीकृति मे उल्लेखित शर्तो /प्रतिबन्धो की बिन्दुवार अनुपालन आख्या निम्नवत है -

क्र० सं०	शर्ते /प्रतिबन्ध/आपत्ति	अनुपालन आख्या
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	इस शर्त का अनुपालन किया जायेगा ।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमी प्रयोक्ता अभिकरण को सोंपे जाने के बाद ही वन भूमी सोंपी जाएगी ।	इस शर्त का अनुपालन किया जायेगा ।
3	**प्रतिपूरक वनीकरण :** (क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 11.94 है0 अवनत वन भूमि नगुणगाड क० स० 3 बी० पर प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा । जहाँ तक व्यवहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाये तथा प्रजातियों की एकल कृषि से बचें ।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 5.969 हे० भूमी के सापेक्ष आरक्षित वन क्षेत्र 11.94 हे० प्रतिपूरक वनीकरण हेतु लिया गया था, परन्तु भारत सरकार के EDS दिनांक -30.06.2020 द्वारा आपत्ति संख्या-11 के अनुसार 2 हे. MDF मे होने के कारण 2 हे. अतिरिक्त क्षेत्रफल लेते हुए प्रतिपूरक वनीकरण हेतु कुल क्षत्रफल 13.94 हे० अर्थात 14 हे० लिया गया है। जिस हेतु प्रभागीय वनाधिकारी उत्तरकाशी से उक्त संदर्भित पत्र संख्या (ii) दिनांक 11.08.20 से प्राप्त मांगपत्र द्वारा रू० 79,47,610.00 की राशी जमा करा दी गई है **(संलग्नक-1)** यह भी अवगत करना है की पूर्व मे प्रतिपूरक वनीकरण के लिए चयनित स्थल धरासू रेंज मे नगुणगाड कक्ष संख्या 4B मे है, जो की सैधांतिक स्वीकृति मे बिन्दु संख्या 3 के (क) मे त्रुटिवश कक्ष संख्या 3B अंकित किया गया है ।

	(ख) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी. ए. क्षेत्र पर पूर्व मे किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नही किया गया है ।	इस शर्त की अनुपालन आख्या प्रभागीय वनाधिकारी उत्तरकाशी द्वारा दी जाएगी ।
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमी पर, यदि आवश्यक हो , तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरो पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी । प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षो तक अनुरक्षित किया जायेगा । इस योजना मे भविष्य में निर्धारित कार्यो के लिए प्रतियाशित लागत वृद्धी हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किये जा सकते है ।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 5.969 हे० के सापेक्ष आरक्षित वन क्षेत्र 13.94 हे० प्रतिपूरक वनीकरण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु प्रभागीय वनाधिकारी उत्तरकाशी से दिनांक -11.08.20 को प्राप्त मांग पत्र पर रू० 79,47,610.00 की धनराशी दिनांक 21.10.2020 को जमा करा दी गई है । **(संलग्नक-1)** तथा इस शर्त का अनुपालन किया जायेगा ।
5	**शुद्ध वर्तमान मूल्य:** (क) इस सम्भंद मे भारत के मा० सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या : 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालयद्वारा पत्रांक 5-1/1998-एफ.सी. (Pt. 2) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006-एफ. सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 5.969 हे० वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी ।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त मे आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी. वी.) की डिमांड रू० 39,21,633.00 प्रभागीय वनाधिकारी उत्तरकाशी से प्राप्त जमा करा दी गई है **(संलग्नक-1)**
	(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमी के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशी, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा । प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा	इस शर्त के अनुपालन हेतु शपथपत्र पृथक से प्रेषित है **(संलग्नक-2)**
6	प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या 154 पेड़ होगी तथा न्यूनतम वृक्षों का पातन किया जायेगा ।	इस शर्त का अनुपालन किया जायेगा ।
7	It will be the responsibility of the state government / user agency for strict compliance of the decision /condition/ suggestion imposed by the High Power Committee (HPC) constituted by the MoEF&CC as per the direction of Hon'ble Supreme court order dated 08.08.2019 in M.A Nos.2678-2680 of 2018 I civil appeal Nos.8515-8520 of 2018 and contempt petition (.c) No.423 of 2019 in civil appeal no.10930 of 2018.	इस शर्त का अनुपालन किया जायेगा ।

<table>
<tr><td>8</td><td>State Government will upload the detail of related proposal at Para B in Part-I.</td><td>
<table>
<tr><th colspan="8">List of proposal submitted in Past</th></tr>
<tr><th>Sl. no</th><th>Proposal Status.</th><th>Proposal No.</th><th>Moef File No.</th><th>Area Proposed for Diversion (Ha.)</th><th>Area Diverted (Ha.)</th><th>Date of In-Principle Approval</th><th>Date of Final Approval</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Pending at RO MoEF (Stage-II)</td><td>FP/UK/ ROAD/ 24549/2017</td><td>08B/UCP/06/34/ 2017/FC/ 1065. Dtd- 22/09/2017</td><td>16.971 Ha.</td><td>16.971 Ha.</td><td>22/09/ 2017</td><td></td></tr>
</table>
Details of related proposal (24549) seeking prior approval of Central Government under the Act for diversion of forest land for the Project cannot be mentioned in Part-I, Para-B-1 due to unavailability of option to fill any detail online. Details of related proposal (24549) already uploaded online. Details of related proposal as given below.</td></tr>
<tr><td>9</td><td>In the SIR, DFO has mentioned that swell factor has not been calculating in MDP. State government may submit the muck disposal plan duly authenticated by DFO providing the details of muck likely to be generated. Muck proposed to be utilized, balance muck for disposal at identified muck disposal sites, swell factor and muck already disposed at the muck disposal sites identified in the approved proposal. The carrying capacity of the muck dumping site proposed along with safety measure and rehabilitation / eco-restoration plan and distance from river, if any is also required to be intimated.</td><td>Quantity of muck as per muck disposal plan has been already uploaded considering the swell factor. Copy of Muck Disposal Plan is attached. (Annexure-3)</td></tr>
<tr><td>10</td><td>Revised site inspection report of DFO as submitted and discussed in the meeting is required to be uploaded online at Para 15 of Part II by the state govt.</td><td>Revised site inspection report of DFO is attached. (Annexure-4)</td></tr>
<tr><td>11</td><td>State govt. will inform to this office if the pass any order for tree cutting and commencement of work before stage II approval as per guidelines para 11.2. The state govt. will strictly monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue such permission.</td><td>इस शर्त का अनुपालन किया जायेगा ।</td></tr>
<tr><td>12</td><td>परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई -पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपुरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फण्ड मे स्थानांतरित / जमा किये जायेंगे ।</td><td>प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से वनाधिकारी उत्तरकाशी से प्राप्त डिमांड नोट अपलोड कर एवं नोडल अधिकारी से सत्यापित हो जाने के बाद रू0 79,47,610.00 (एन. पी. वी. हेतु रू 39,21,633.00 एवं क्षतिपुरक वृक्षारोपण हेतु रू 40,25,977.00) का चालान जनरेट कर डिमांड धनराशी को उत्तराँचल कैम्प मे दिनांक -21.10.2020 को जमा करा दी गई है । (संलग्नक-1)</td></tr>
<tr><td>13</td><td>एफ.आर.ए., 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बंदित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा ।</td><td>इस शर्त के अनुपालन हेतु एफआरए का प्रमाण पत्र (प्रमाणित प्रति) प्रेषित है (संलग्नक-1)</td></tr>
<tr><td>14</td><td>प्रयोक्ता अभिकरण आई आर सी मानदंडो के अनुसार सड़क के दोनों किनारों एवं उसके बीचों बीच पौधों की संख्या बढाएगा ।</td><td>इस शर्त का अनुपालन किया जायेगा ।</td></tr>
<tr><td>15</td><td>संरक्षित क्षेत्रो / वन क्षेत्रो में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साईनेज़ लगाये जायेंगे ।</td><td>इस शर्त का अनुपालन किया जायेगा ।</td></tr>
</table>

16	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम , 1986 के प्रावधान के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावर्णीय स्वीकृति प्राप्त करेगा ।	इस शर्त का अनुपालन किया जायेगा ।
17	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले - आउट प्लान नही बदला जायेगा ।	इस शर्त का अनुपालन किया जायेगा ।
18	वन भूमी पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नही करेगा ।	इस शर्त का अनुपालन किया जायेगा ।
19	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य क़ानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी , विशेषत वैकल्पिक ईधन दिया जायेगा ।	इस शर्त का अनुपालन किया जायेगा ।
20	सम्बंधित प्रभागीय वनाधकारी के निर्देशानुसार , प्रत्यावर्तित वन भूमी की सीमा को परियोजना लागत पर भूमी पर सीमांकन किया जायेगा ।	इस शर्त का अनुपालन किया जायेगा ।
21	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नही बनाया जायेगा ।	इस शर्त का अनुपालन किया जायेगा ।
22	इस अनुमोदन मे प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष मे मिली लीज़ की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ , जो भी कम हो , लक्षित किया जायेगा ।	इस शर्त का अनुपालन किया जायेगा ।
23	वन भूम का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव मे विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नही किया जायेगा ।	इस शर्त का अनुपालन किया जायेगा ।
24	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमी किसी भी परिस्थिति मे किसी भी अन्यो एजेंसियों , विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नही की जाएगी ।	इस शर्त का अनुपालन किया जायेगा ।
25	इनमे से किसी भी शर्त का उलंघन वन (सरक्षण) अधिनियम , 1980 का उलघंन होगा एवं पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी ।	इस शर्त का अनुपालन किया जायेगा ।
26	पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवो के सरक्षण व विकास के हित मे समय -समय पर निर्धारित शर्ते लागु होगी ।	इस शर्त का अनुपालन किया जायेगा ।
27	परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधकारी की देख रेख मे किया जायेगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यंत्र मलवा नही फेका जायेगा ।	इस शर्त का अनुपालन किया जायेगा ।
28	यदि कोई अन्य सम्बंधित अधिनियम / अनुछेद / नियम / न्यायालय आदेश / अनुछेद आदि इस प्रस्ताव पर लागु होते हो तो उनके अधीन जरुरी अनुमति लेना राज्य सरकार / प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेदारी होगी ।	इस शर्त का अनुपालन किया जायेगा ।

29	अनुपालन आख्या ई - पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) पर अपलोड की जाएगी ।	इस शर्त का अनुपालन किया जायेगा ।

संलग्नक :- (1) उपरोक्तानुसार 1 से 5 तक

(2) धनराशी जमा करने हेतु मांग पत्र

(3) सैधांतिक स्वीकृति पत्र

अधिशासी अभियन्ता
रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0,
बड़कोट (उत्तरकाशी)

प्रतिलिपि :- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल नोडल अधिकारी , वन संरक्षण , इंदिरा नगर फारेस्ट कालोनी , देहरादून को सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित की अग्रिम अवशक कार्यवाही करने की कृपा करें ।

अधिशासी अभियन्ता
रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0,
बड़कोट (उत्तरकाशी)

संलग्नक - 01

Online payment history made by User Agency under CAMPA

▽ **Help**

Sno.	Proposal Detail	Application_No	Application No (New)	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	FP/UK/ROAD/36902/2018 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/36902/2018) The Additional land requirement for land slide treatment and muck dumping for Rehabilitation and Upgradation to 2 lane with paved shoulder configuration from existing Km 122.00 (Dharasu Bend) to Km 147.230 (Silkyara Bend) Design chainage 0.00 to Km 24.30) of NH-94 in the state.	ROAD369022018789	6136902789	29 Jul 2020	**CA:** 4025977/-, **Addl CA :** 0/- **PCA:** 0/-, **CAT :** 0/- **Safety Zone:** 0/-, **Addl PA :** 0/- **NPV:** 3921633/-, **Other Charges :** 0/- **Other Charges1 :** 0/- **Other Charges2 :** 0/- **Other Charges3 :** 0/- **Total :** 7947610/-	Paid	**Fund Demand Verified by Nodal Officer On** : 20 Aug 2020 **Bank Name** : Corporation Bank **Mode of Payment** : NEFT/RTGS (Challan) **Challan Generated On** : 21 Aug 2020 **Transaction Date** : 21 Oct 2020	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/81119121812150QSOEDimandLetterDfo.pc Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD369022018789)

संलग्नक-02

परियोजना का नामः– **चार धाम परियोजना (ऑलवेदर रोड) के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग–94(134) कि0मी0 0.00 से 24.300 (धरासू बैंड़ से सिलक्यारा बैड) तक दो लेन चौडीकरण हेतु अतिरिक्त डम्पिगं स्थल एवं लैण्ड स्लाईड जोन के उपचार के लिए वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव।**

शपथपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि **चार धाम परियोजना (ऑलवेदर रोड) के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग–94 (134) कि0मी0 0.00 से 24.300 (धरासू बैंड़ से सिलक्यारा बैड) तक दो लेन चौडीकरण हेतु अतिरिक्त डम्पिगं स्थल एवं लैण्ड स्लाईड जोन के उपचार** हेतु **वन भूमि** के लिए एन0 पी0 वी0 की देय धनराशी रू0 79,47,610.00 मात्र याचक विभाग द्वारा वन विभाग के पक्ष मे जमा करायी जा चुकी है। इसके अतिरिक्त यदि माननीय सर्वोच्च नयायालय द्वारा एन0 पी0 वी0 की धनराशी मे यदि कोई बढोतरी की जाती है, तो एन0 पी0 वी0 की अतिरिक्त धनराशी को अंतिम रूप देने के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा राज्य सरकार के पक्ष मे जमा करा दी जाएगी

अधिशासी **अभियंता**
एन. एच. पी.डब्लू.डी
बड़कोट, उत्तराखण्ड

संलग्नक - 03

Muck Disposal Index

Muck Disposal Plan for Up-gradation to two lane with paved shoulders from Km 0.000 (Dharasu) to Km 24.300 (Silkyara bend) section of NH-94 under EPC Mode.

- Calculation of Muck quantity and available dumping Yards
- Nature of Land choosen for Muck Disposal
- Cross section of Muck Disposal Plan

अधिशासी अभियन्ता
रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0
बड़कोट (उत्तरकाशी)

Scanned by CamScanner

संलग्न्क – 03

Muck Disposal Plan

A. Detail as per old proposal no.- 24549

S. No.	Particulars	Quantity (Cum)	Remark
1	Total muck generated for old proposal no. 24549 (NH-134 Km 0.00 to 24.30) as per original muck dumping plan along with 40% swell factor	1196079.50	
2	Total muck to be disposed for proposal no. 24549 (NH-134 Km 0.00 to 24.30) as per original muck dumping plan considering 20% reuse of material	956863.60	
3	Capacity of 6 nos available dumping zones (only 6 nos dumping were available for dumping out of 7 nos approved in old proposal no.- 24549)	1170250.00	
4	Muck already disposed in 6 nos available dumping zones	1170250.00	630033.65 cum muck from hill side cutting in 16km length and 540216.35 cum muck from slip clearance.
5	Already reused material for construction of road (@ 20% of muck generated from hill side cutting)	157508.41	
6	Balance undisposed muck remaining from old proposal no. 24549 (as hill side cutting is remaining in 8.3Km length.)	408537.43	Considering swell factor @ 40%

B. Detail as per new proposal no.- 36902

S. No.	Particulars	Quantity (Cum)	Remark
1	Balance undisposed muck from remaining hill side cutting of 8.3km length.	408537.43	Considering swell factor @ 40%.
2	Reuse of material for construction of road	81707.48	
3	Total quantity of muck to be dumped in proposed 3 nos dumping zones as per new proposal no. 36902	326829.95	

Scanned by CamScanner

संलग्नक-03

Location and Capacity of Dumping Yards

Sr. No.	Location	Size	Type of Land	Capacity of Dumping Yard (Cum)
1	Km 2	(105m x 116m x 60m) x 1/3	Reserve Forest	243600.00
2	Km 14	(71.50m x 77m x 40m) x 1/3	Reserve Forest, Civil land, Nap Land	73406.66
3	Km 14	(50m x 90m x 25m) x1/3	Civil Land , Nap Land	37500.00
	Total			**354506.66**

Sr. No.	Total Remaining Debris	Reuse material for road construction	Total disposal in Dumping Zone	Capacity of the Dumping Zone	Balance Debris
1	408537.43	81707.48	326829.95	354506.66	(-) 27676.71

- **The Total Muck generated is less than the capacity of Dumping Yards Proposed.**

अधिशासी अभियंता
Executive Engineer
एन. एच. पी.डब्लू.डी
NH. Div. P.W.D.
बड़कोट, उत्तराखण्ड
Barkot, Uttarkashi (U.K.)

प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग
उत्तरकाशी

Scanned by CamScanner

संलग्नक - 04

S.I.R.

SITE INSPECTION REPORT-NOT BELOW THE RANK OF DCF
(For the forest land to be diverted under FCA)

5.1 A Proposal has been received by this office from N.H. P.W.D. BARKOT UTTARKASHI for diversion under FCA-(1980) of 5.969 ha. of forest land for non-forestry purpose. The project envisages the use of forest land of construction of LAND SLIDE TREATMENT AND MUCK DUMPING FOR REHABILITATION AND UPGRADATION TO 2 LINE WITH PAVED SHOULDER CONFIGURATION. The site inspection of the land involved in the proposal has been done by me check the entries before forwarding.
dated....16/2/2019.....

5.2 On inspection of the site, it is found that the land required by the user agency is a RF/PF/un-classed/Other forests measuring 5.969 ha. R.F. DHARASU COMPARTMENT No-2 & 3, KHURMOLA COMPARTMENT No-3A & 4, KUMRADA BLOCK, KALYANI CIVIL, PANOT CIVIL & KUMRADA CIVIL.

5.3 The requirement of forest land as proposed by the user agency in Col.2 part-I is unavoidable and is barest minimum required for the project. yes

5.4 Whether any rare/endangered/unique species of flora and fauna found in the area. If, so the details there of. yes Wildlife Corridor/Management plan shall be prepared in future based on the recommendation of HPC.

5.5 xx Whether any protected archeological/heritage site/defence establishment or any other important monument is located in the area. If, so the details there of with NOC from competent authority, if required.

a) The user agency has not violated the provisions of forest (Conservation) Act 1980 and no work has been started without proper sanction. Yes

b) It has been found that the user agency has violated (Conservation). Act 1980 provisions. A details report as per para 1.9 fo chapter I, para C of Hand book of forest (Conservation)Act. 1980 attached. No

Specific recommendation for acceptance or otherwise of the proposal.

1- User agency has not taken into account the swell factor while calculating muck generation and therefore the volume of dumping sites have been under estimated.

- **User agency shall rectify the muck disposal plan accordingly.**

2- A Scientific wildlife management plan shall be prepared in future based on the final recommendations of the High Power Committee constituted by honorable supreme court. The report is in drafting stage and shall be submitted to MoEF Gov. of India in future. **The wildlife management plan annexed earlier is withdrawn.**

3- The entire stretch of km 0.00 (Dharasu band) to 24.30 (Silikyara band) also traverses & cuts various small streams/tributaries of Bhagirathi river that have been given due importance by Hon'ble NGT in its various orders.

- **Accordingly the watershed treatment plan shall be included in the proposal to treat upper & lower catchment of the affected streams.**

4- The alignment has not been marked with Level pillars & Cutting pillars which poses a difficulty to identified the alignment in the field.

- **The user agency is required to construct the above stated pillars after a distance of 25 meters along the entire stretch.**

Recommended for Approval.

Place :-Kot Bangla Uttarkashi
Date....16/2/2019....

DIVISIONAL FOREST OFFICER.
UTTARKASHI FOREST DIVISION
UTTARKASHI.

संलग्नक - 05

परियोजना का नाम:- चार धाम परियोजना (ऑलवेदर रोड) के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग-94(134) कि0मी0 0.00 से 24.300 (धरासू बैंड से सिलक्यारा बैंड) तक दो लेन चौडीकरण हेतु अतिरिक्त डम्पिगं स्थल एवं लैण्ड स्लाईड जोन के उपचार के लिए वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव।

परियोजना के निर्माण हेतु वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी का

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना के निर्माण हेतु वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव हेतु उपखण्ड स्तरीय समिति एवं जिला स्तरीय समिति द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।

जिलाधिकारी
उत्तरकाशी
जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी

अधिशाषी अभियंता,
रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0
बड़कोट, उत्तराखण्ड,

Scanned by CamScanner

संल० 79-05

ANNEXUYE

FORM-1
(For linear Projects)
Government of Uttarakhand
Office of the District Collecor Uttarkashi.

No Dated. 12.10.18

TO WHOWSOEVERIT MAY CONCERN

In compliance of the ministry of Environment and forests (FoEF) Government of india's letter No 11-9/98 (pt-) dated 3rd August 2009 wherin the MoEF issued guidelinses on sunmission of evidences for having intiatd and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of forest Rights) Act. 2006 (FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non- forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation on respect of linear projects. it is certified that 5.969 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of N.H PWD Barkot divison uttarakashi District falls within juri nsdiction Villages:- fedi & kumrada Dunda Tehsil.

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out the entire 5.969 hectares of the forest area proposed for diversion a copy of records of all consultations and meeting of the forest Rights committee are annexure 23 to 23.2 annexure.

(b) The diversion of forest land for facilities managed by the Governments as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Sub- Division level committee given their consent to it.

(c) The proposal dose not involve recognised rights of primitive Tribal groups and preagricultural communities.
Fencl- As above.

जिलाधिकारी
(Dr. Ashish Chauhan)
District Magistrate
Uttarakashi

Photocopy Attested
Asst. ...
NH D...
Barkot (Utt...

Scanned by CamScanner

संल० 79-05

ANNEXUYE

FORM-1

(For linear Projects)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collecor Uttarkashi.

No

Dated. 12.10.18

TO WHOWSOEVERIT MAY CONCERN

In compliance of the ministry of Environment and forests (FoEF) Government of india's letter No 11-9/98 (pt-) dated 3rd August 2009 wherin the MoEF issued guidelinses on sunmission of evidences for having intiatd and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of forest Rights) Act. 2006 (FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non- forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation on respect of linear projects. it is certified that 5.969 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of N.H PWD Barkot divison uttarakashi District falls within juri nsdiction Villages:- fedi & kumrada Dunda Tehsil.

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out the entire 5.969 hectares of the forest area proposed for diversion a copy of records of all consultations and meeting of the forest Rights committee are annexure 23 to 23.2 annexure.

(b) The diversion of forest land for facilities managed by the Governments as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Sub- Division level committee given their consent to it.

(c) The proposal dose not involve recognised rights of primitive Tribal groups and preagricultural communities.

Fencl- As above.

जिलाधिकारी

(Dr. Ashish Chauhan)

District Magistrate

Uttarakashi

Photocopy Attested

Asst. ... NH D... Barkot (U...

Scanned by CamScanner

संलग्नक-05

ANNEXUYE

OFFICE THE DISTRICT MAGISTRATE
DISTRICT Uttarakashi (U.K)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act(FRA). 2006.

A meeting of the district level Committee of Garhwal district. constituted under FRA. 2006 was held under the Chairmanship of Dr. Ashish Chauhan District Magistrate Uttarakashi on date 19-05-2017 at Time 11.00 AM at Uttarakashi in which application claiming rights in Forest land area measuring 5.969 hect for the Rehabilitation and widening of N.H PWD Barkot divison uttarakashi forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the Sub Divison level Committee of Dunda sub division were discussed to consider the same for admission by the district level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions. no objection/claims were found to have been made & hence District level Committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

place: Uttarakashi

Dated: 12-10-2018

जिलाधिकारी
(Dr. Ashish Chauhan)
District Magistrate
Uttarakashi

Photocopy Attested

Barkot (Uttarkashi)

Scanned by CamScanner

संलग्नक-05

It is certified that- Minute of meeting of Construction of N.H PWD Barkot division all wathere road km.0.00 to 24.300 section in the state of Uttarakhand regarding FRA is as following-

S .no		Remarks
(a)	The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out the entire 5.969 Hect. of reserve forest area proposed for deversion . A copy of record of all consultaions and meeting of the forest Right Committee (s). Sub Division level Committee are enclosed as annexure.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers.
(b)	The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the villagers have given consent to it.	Yes. copy records attaché as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwallers. No objection certificate concerned villages regarding construction of aforesaid is from N.H PWD Barkot Uttarakashi section in the state of Uttarakhand scheme attached.
(c)	The proposal does not innvolce recoginiged rights of primitive Tribal groups and pre-agricultural communities.	Yes copy of recores attached and there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest dwellers.

(Dr. Ashish Chauhan)
District Magistrate-cum Chairman
District Level Committee
Uttarakashi

जिलाधिकारी
उत्तरकाशी

Photocopy Attested
Barkot (Uttarkashi)

Scanned by CamScanner

संलग्नक-05

कार्यालय जिलाधिकारी उत्तरकाशी

जिला स्तरीय समिती जिला उत्तरकाशी

आज दिनांक 12-10-18 को जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड डुण्डा के ग्राम फेडी कुमराडा के उत्तराखण्ड राज्य के उत्तरकाशी जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग – 94 (134) कि0मी0 0.00 से 24.300 (धरासु बैड से सिल्यारा बैड) तक चार धाम परियोजना (ऑलवेदर रोड) के अन्तर्गत चौडीकरण निर्माण हेतु अतिरिक्त डम्पिंग एवं लैण्ड स्लाईड ट्रीटमेंन्ट जोन के लिए 5.969 हे0 वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध मे वन अधिकार अधिनियम 2006 एव नियम 2008 के अन्तर्गत जिलाधिकारी द्वारा गठित समिति

क0स	अधिकारी का नाम	पंदनाम	हस्ताक्षर
1	डा0 आशीष चौहान	जिलाधिकारी उत्तरकाशी	(हस्ताक्षर) जिलाधिकारी उत्तरकाशी
2	श्री सन्दीप कुमार	प्रभागीय वनाधिकारी उत्तरकाशी	(हस्ताक्षर) प्रभागीय वनाधिकारी उत्तरकाशी वन प्रभाग
3	कु0 हेमलता पाण्डेय	जिला समाज कल्याण अधिकारी उत्तरकाशी	(हस्ताक्षर) उत्तरकाशी जिला समाज कल्याण अधिकारी उत्तरकाशी
4	श्री जितेन्द्र राणा	जिला पंचायत सदस्य उत्तरकाशी	(हस्ताक्षर)
5	श्रीमती अनिता गुसाई	जिला पंचायत सदस्य वार्ड न0 4, उत्तरकाशी	(हस्ताक्षर) सदस्या जिला पंचायत-04 [illegible]
6	श्री अनिल कुमार	जिला पंचायत सदस्य वार्ड न0 16, उत्तरकाशी	(हस्ताक्षर) अनिल कुमार जिला [illegible] सदस्य वार्ड-16 [illegible] जिला- उत्तरकाशी

Photocopy Attested

Scanned by CamScanner

संलग्नक-05

परियोजना का नाम :— उत्तराखण्ड राज्य के उत्तरकाशी जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग—94(134) कि0मी0 0.00 से 24.300 (धरासू बैंड से सिलक्यारा बैंड) तक चार धाम परियोजना (ऑलवेदर रोड) के अन्तर्गत चौडीकरण निर्माण हेतु अतिरिक्त डम्पिगं एवं लैण्ड स्लाईड ट्रीटमेन्ट जोन के लिए 5.969 है0 वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, **डुण्डा**

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण—पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, **डुण्डा**

उपखण्ड **डुण्डा** परिक्षेत्र के अन्तर्गत **उपरोक्त परियोजना निर्माण** हेतु (आरक्षित वन भूमि 5.566 है0, सिविल एवं सोयम वन भूमि 0.403 है0 वन पंचायत भूमि — है0, अर्थात कुल 5.969 है0 आरक्षित वन भूमि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार प्रयोक्ता एजेन्सी रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0 बड़कोट के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, तहसील डुण्डा की दिनांक 8-10-18 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :—

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक **श्री सौरम असवाल**, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1. **श्री सौरम असवाल** उपजिलाधिकारी **डुण्डा** अध्यक्ष	(हस्ताक्षर) उपजिलाधिकारी डुण्डा, उत्तरकाशी
2. **श्री आर0बी0 सिहं** उप प्रभागीय वनाधिकारी **उत्तरकाशी** सदस्य	(हस्ताक्षर) SDO Dh
3. **श्री सन्दीप राणा** सहायक समाज कल्याण अधिकारी **डुण्डा** सदस्य / सचिव	(हस्ताक्षर) सहायक समाज कल्याण अधिकारी विकास खण्ड डुण्डा
4. **श्री कनक पाल** बी0डी0सी0 प्रमुख **डुण्डा** सदस्य	(हस्ताक्षर) प्रमुख क्षेत्र पंचायत डुण्डा जिला उत्तरकाशी

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि **उपरोक्त मार्ग के परियोजना निर्माण** हेतु 5.969 है0 वन भूमि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार प्रयोक्ता एजेन्सी रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0 बड़कोट के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्व सम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

क्रमशः 2 पर

Photocopy Attested
Barkot (Uttarkashi)

Scanned by CamScanner

संलग्नक–05

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, **डुण्डा** द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड **डुण्डा** परिक्षेत्र के अन्तर्गत **उपरोक्त मार्ग परियोजना निर्माण** हेतु **5.969** **हे0** वन भूमि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार प्रयोक्ता एजेन्सी रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0 बड़कोट को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– डुण्डा (उत्तरकाशी)

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, **उत्तरकाशी** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– डुण्डा (उत्तरकाशी)

Photocopy Attested

Scanned by CamScanner

संलग्नक-05

प्रपत्र–23

परियोजना का नाम :– उत्तराखण्ड राज्य के उत्तरकाशी जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग-94(134) कि0मी0 0.00 से 24.300 (धरासू बैंड से सिलक्यारा बैड) तक चार धाम परियोजना (ऑलवेदर रोड) के अन्तर्गत चौडीकरण निर्माण हेतु अतिरिक्त डम्पिगं एवं लैण्ड स्लाईड ट्रीटमेंन्ट जोन के लिए .... हे0 वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम – **कौड़ाफेडी**, पट्टी– **दसकी**

तहसील – डुण्डा, जिला – उत्तरकाशी

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड राज्य के उत्तरकाषी जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग–94(134) कि0मी0 0.00 से 24.300 (धरासू बैंड़ से सिलक्यारा वैड) तक चार धाम परियोजना (ऑलवेदर रोड) के अन्तर्गत चौडीकरण निर्माण हेतु अतिरिक्त डम्पिगं एवं लैण्ड स्लाईड ट्रीटमेंन्ट जोन के लिए 5.969 हे0 वन भूमि का हस्तान्तरण राष्ट्रीय मार्ग खण्ड लो0नि0वि0 बड़कोट के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत **कौड़ाफेडी** (डुण्डा) द्वारा दिनांक 3-10-18 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम **कौड़ाफेडी** (डुण्डा) के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि रा0मा0खण्ड, लो0नि0वि0 बड़कोट को उत्तराखण्ड राज्य के उत्तरकाशी जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग–94(134) कि0मी0 0.00 से 24.300 (धरासू बैंड़ से सिलक्यारा बैड) तक चार धाम परियोजना (ऑलवेदर रोड) के अन्तर्गत चौडीकरण निर्माण हेतु अतिरिक्त डम्पिगं एवं लैण्ड स्लाईड ट्रीटमेंन्ट जोन परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/– 12/10/018

ग्राम सचिव ग्रा0प0वि0अ0 कौड़ाफेडी

ह0/–

ग्राम पंचायत ... प्रधान ...

नोट :– यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

Photocopy Attested

Scanned by CamScanner

संलग्नक-05

प्रपत्र– 23.1

दिनांक 3-1-18 के ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत का नाम – **कौड़ाफेडी**, पट्टी– **दराकी**
तहसील – **डुण्डा**, जिला – **उत्तरकाशी**

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	~~बचाउंह~~ श्री सूर्य सिंह	~~बचाउंह~~
2		[signature]
3	उमेद सिंह	उमेद सिंह
4	विजय लाल	विजय लाल
5	संजय सिंह	संजय सिंह
6	भाग सिंह	भागसिंह
7		[signature]
8	मुन्ना लाल	[signature]
9	हर्ष लाल	[signature]
10	मातबार लाल	मातबर
11	[illegible]	[signature]
12	मनोज	मनोज
13	भरत सिंह	[signature]
14		
15		
16		
17		
18		

Photocopy Attested

Scanned by CamScanner

सलग्नक–05

परियाजना का नाम:– उत्तराखण्ड राज्य के उत्तरकाशी जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग – 94 (134) किमी0 0.000 से 24.300 (धरासू बैंड से सिलक्यारा बैंड) तक चार धाम परियोजना (ऑलवेदर रोड) के अन्तर्गत चौड़ीकरण निर्माण हेतु अतिरिक्त डम्पिंग एवं लैण्ड स्लाइड ट्रीटमेंट जोन के लिए हे0 वन भूमि हस्तांतरण का प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अंतर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र)

ग्राम पंचायत का नाम – कुमराड़ा (गेंवला), पट्टी– भण्डारस्यूं
तहसील – डुण्डा, जिला–उत्तरकाशी।

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड राज्य के उत्तरकाशी जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग–94(134) किमी० 0.000 से 24.300(धरासू बैंड से सिलक्यारा बैंड) तक चार धाम परियोजना के (ऑलवेदर रोड) के अन्तर्गत चौड़ीकरण निर्माण हेतु अतिरिक्त डम्पिंग एवं लैण्ड स्लाइड ट्रीटमेंट जोन के लिए5.4968हे० वन भूमि हस्तांतरण राष्ट्रीय मार्ग खण्ड लो0 नि0 वि0 बड़कोट के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत कुमराड़ा (गेंवला), डुण्डा द्वारा दिनांक 3-10-18 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया है कि वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम कुमराड़ा (गेंवला), डुण्डा के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0 बड़कोट को उत्तराखण्ड राज्य के उत्तरकाशी जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग 94(134) किमी० 0.000 से 24.300(धरासू बैंड से सिलक्यारा बैंड) तक चार धाम परियोजना के (ऑलवेदर रोड) के अन्तर्गत चौड़ीकरण निर्माण हेतु अतिरिक्त डम्पिंग एवं लैण्ड स्लाइड ट्रीटमेंट जोन परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

हस्ताक्षर 10/10/18
ग्राम सचिव ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत गेंवला
वि0ख0– डुण्डा, उत्तरकाशी

हस्ताक्षर
ग्राम प्रधान

नोट :– यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

Photocopy Attested

Scanned by CamScanner

प्रपत्र–23 सलग्नक -05

परियाजना का नाम:– उत्तराखण्ड राज्य के उत्तरकाशी जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग – 94 (134) किमी0 0.000 से 24.300 (धरासू बैंड से सिलक्यारा बैंड) तक चार धाम परियोजना (ऑलवेदर रोड) के अन्तर्गत चौड़ीकरण निर्माण हेतु अतिरिक्त डम्पिंग एवं लैण्ड स्लाइड ट्रीटमेंट जोन के लिए. हे० वन भूमि हस्तांतरण का प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अंतर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र)

ग्राम पंचायत का नाम – कुमराड़ा (गेंवला), पट्टी– भण्डारस्यूं
तहसील – डुण्डा, जिला–उत्तरकाशी।

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड राज्य के उत्तरकाशी जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग–94(134) किमी० 0.000 से 24.300(धरासू बैंड से सिलक्यारा बैंड) तक चार धाम परियोजना के (ऑलवेदर रोड) के अन्तर्गत चौड़ीकरण निर्माण हेतु अतिरिक्त डम्पिंग एवं लैण्ड स्लाइड ट्रीटमेंट जोन के लिए5.445हे० वन भूमि हस्तांतरण राष्ट्रीय मार्ग खण्ड लो0 नि0 वि0 बड़कोट के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत कुमराड़ा (गेंवला), डुण्डा द्वारा दिनांक 3-10-18 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया है कि वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम कुमराड़ा (गेंवला), डुण्डा के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0 बड़कोट को उत्तराखण्ड राज्य के उत्तरकाशी जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग 94(134) किमी० 0.000 से 24.300(धरासू बैंड से सिलक्यारा बैंड) तक चार धाम परियोजना के (ऑलवेदर रोड) के अन्तर्गत चौड़ीकरण निर्माण हेतु अतिरिक्त डम्पिंग एवं लैण्ड स्लाइड ट्रीटमेंट जोन परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

हस्ताक्षर 10/10/18

ग्राम सचिव ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत गेंवला
वि0ख0– डुण्डा, उत्तरकाशी

हस्ताक्षर
ग्राम प्रधान

नोट :– यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

Photocopy Attested

Scanned by CamScanner

संलग्नक 05

प्रपत्र—23.1

दिनांक 3-10-18 में ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत का नाम – कुमराड़ा (गेंवला), पट्टी– भण्डारस्यूं
तहसील – डुण्डा, जिला–उत्तरकाशी।

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	रुकमानन्द	रुकमानन्द
2	मकलूचन्द	मकलूचन्द
3	विजयपाल चन्द रमोला	[illegible]
4	श्री उत्तर चन्द रमोला	[illegible]
5	श्री-प्रकाश चन्द रमोला	[illegible]
6	रमेश चन्द रमेशचन्द रमेस	रमेशचन्द
7	राजेश चन्द रमोला	राजेश
8	वल्लभ चन्द	वल्लभ
9	विनोद चन्द	[illegible]
10	गिरीश चन्द	[illegible]
11	महेश चन्द	[illegible]
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

Photocopy Attested
Asst. Engineer
NPD? PWD
Barkot (Uttarkashi)

Scanned by CamScanner

प्रपत्र–23

संलग्नक–05

परियोजना का नाम:– उत्तराखण्ड राज्य के उत्तरकाशी जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग – 94 (134) किमी0 0.000 से 24.300 (धरासू बैंड से सिलक्यारा बैंड) तक चार धाम परियोजना (ऑलवेदर रोड) के अन्तर्गत चौड़ीकरण निर्माण हेतु अतिरिक्त डम्पिंग एवं लैण्ड स्लाइड ट्रीटमेंट जोन के लिए. हे० वन भूमि हस्तांतरण का प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अंतर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र)

ग्राम पंचायत का नाम – कुमराड़ा (गेंवला), पट्टी– भण्डारस्यूं
तहसील – डुण्डा, जिला–उत्तरकाशी।

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड राज्य के उत्तरकाशी जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग–94(134) किमी० 0.000 से 24.300(धरासू बैंड से सिलक्यारा बैंड) तक चार धाम परियोजना के (ऑलवेदर रोड) के अन्तर्गत चौड़ीकरण निर्माण हेतु अतिरिक्त डम्पिंग एवं लैण्ड स्लाइड ट्रीटमेंट जोन के लिए 1.96 हे० वन भूमि हस्तांतरण राष्ट्रीय मार्ग खण्ड लो0 नि0 वि0 बड़कोट के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत कुमराड़ा (गेंवला), डुण्डा द्वारा दिनांक 3-10-18 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया है कि वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम कुमराड़ा (गेंवला), डुण्डा के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0 बड़कोट को उत्तराखण्ड राज्य के उत्तरकाशी जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग 94(134) किमी० 0.000 से 24.300(धरासू बैंड से सिलक्यारा बैंड) तक चार धाम परियोजना के (ऑलवेदर रोड) के अन्तर्गत चौड़ीकरण निर्माण हेतु अतिरिक्त डम्पिंग एवं लैण्ड स्लाइड ट्रीटमेंट जोन परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

हस्ताक्षर
10/10/18
ग्राम सचिव
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत गेंवला
वि0ख0– डुण्डा, उत्तरकाशी

हस्ताक्षर ग्राम प्रधान (stamp: प्रधान ग्राम पंचायत गेंवला, विकास खण्ड डुण्डा (उत्तरकाशी))

नोट :– यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

Photocopy Attested
Asst. E[illegible]
NH Div[illegible]
Bark[illegible]

Scanned by CamScanner

संलग्नक-05

प्रपत्र–23.1

दिनांक 3-10-18...................... में ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपथिति

ग्राम पंचायत का नाम – कुमराड़ा (गेंवला), पट्टी– भण्डारस्यूं
तहसील – डुण्डा, जिला–उत्तरकाशी।

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	[illegible]	[illegible]
2	कलून चन्द	कलून चन्द
3	विजयपाल चन्द रमोला	[illegible]
4	श्री अत्तर चन्द रमोला	[illegible]
5	श्री- प्रकाश चन्द रमोला	[illegible]
6	रमेश चन्द रमोला	रमेश चन्द
7	[illegible] चन्द रमोला	[illegible]
8	वल्लभ चन्द	वल्लभ
9	विनोद चन्द	[illegible]
10	गिरीश चन्द	[illegible]
11	महेश चन्द	[illegible]
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

Photocopy Attested

Asst. E... NH ... (Uttarkashi)

Scanned by CamScanner

संलग्नक–06

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी

E.Mail. dfouttarkashifd@gmail.com Fax No-01374222964 Tel.No- 01374222444

पत्रांक- 651 / 12-1 , कोटबंगला दिनांक 11 / 08 /2020

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड,
लो0नि0वि0, बड़कोट।

विषय :– **जनपद उत्तरकाशी में चारधाम परियोजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग–94 के कि0मी0 0.00 से कि0मी0 24.300 (धरासू बैण्ड से सिलक्यारा बैण्ड) तक दो लेन चौड़ीकरण हेतु अतिरिक्त डम्पिंग स्थल एवं लैण्ड स्लाईड जोन के उपचार हेतु 5.969 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध में। (FP/UK/ROAD/36902/2018)**

सन्दर्भ :– **भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का पत्रांक– 8बी0 / यू0सी0पी0 / 06 / 155 / 2019 / एफ0सी0 / 773 दिनांक 29.07.2020 तथा नोड़ल कार्यालय देहरादून का पत्रांक– 303/FP/UK/ROAD/36902/2018 दिनांक 30.07.2020।**

महोदय,

भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयगत परियोजना की निर्माण हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। शासनादेश में उल्लिखित शर्त सं0–3 व 4 के अनुपालन में प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड के पत्र सं0–972 / 3–5–2 दिनांक 21.11.2017 में उल्लिखित निर्धारित दर के अनुसार वर्ष 2020–21 के लिए क्षतिपूरक वृक्षारोपण की संशोधित धनराशि तथा शर्त सं0–5 के अनुसार एन0पी0वी0 के निर्धारित धनराशि निम्नानुसार (Challan Generate) कर ऑनलाइन नोडल अधिकारी कार्यालय में जमा करने के उपरान्त जमा धनराशि का चालान सहित सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें एवं शासनादेश में उल्लिखित सभी शर्तो की अनुपालन आख्या भी इस कार्यालय को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

क्र0 सं0	मद	इकाई	दर	जमा की जाने वाली धनराशि
1	2	3	4	5
1	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु।	11.94 हे0	3,37,184.00 प्रति हे0	40,25,977.00
2	एन0पी0वी0	5.969 हे0	घनत्व–0.1 दर– 6,57000.00	39,21,633.00

इसके अतिरिक्त शर्त सं0–20 के अनुसार वन भूमि के सीमांकन हेतु संलग्न प्राक्कलन में निर्धारित मूल्य रू0 1,97,500.00 की धनराशि का इस वन प्रभाग के नाम चैक / डिमाण्ड ड्राफ्ट बनाकर इस कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक:– उपरोक्तानुसार।

भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग
उत्तरकाशी।

प्रतिलिपि :– अपर प्रमुख वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, वन संरक्षण भूमि सर्वेक्षण निदेशालय इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिलाधिकारी, उत्तरकाशी को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग
उत्तरकाशी।

Photocopy Attested

Asst. Engr.

E:\DraftMan raj\Letter\Letter-1..doc

संलग्नक - 06

योजना– प्राक्कलन बावत चारधाम परियोजना (आलवेदर रोड) के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग राजमार्ग–94(134) कि0मी0 0.00 से 24.300(धरासू बैण्ड से सिलक्यारा बैण्ड) तक दो लेन चौडीकरण हेतु अतिरिक्त डम्पिग स्थल एवम् लैण्ड स्लसईड जोन के उपचार के लिए वन भुमि स्थानान्तरण प्रस्ताव

प्राक्कलन बावत डम्पिग स्थल एवम् लैण्ड स्लाईड जोन मे 1566 मी0 सीमांकन हेतु आर0 सी0 सी0 पिलर निर्माण करना

धरासू रेंज उत्तरकाशी वन प्रमाग — वर्ष 2020 – 2021

सेवा शीर्षक:–

क्र0सं0	कार्य का विवरण	सं0	मापन मीटर मे			मात्रा		दर			धनराशि
			ल0	चौ0	ऊँ0						
1	सड़क के सीमाकंन हेतु पिलरों के लिए बुनियाद खोदना PWD I N 1-2	52	0.60	0.60	0.30	5.62	M^3	@	350.90	M^3	1970.65
2	पिलरों का 1:2:4 में भरान करना बुनियाद सहित PWD I N 11-4-3-2	52	0.60	0.60	1.00	18.72			6966.90	M^3	130420.37
3	पिलरों का आर0आर0सी0 कार्य हेतु सरिया की कीमत(1:2:4) M S iron work @ 0.25%) PWD I N 13-4			18.72×0.25×78.50/100 = 3.67 qtl or say		3.67	qtl	@	4783.38	pqtl	17555.00
4	पिलरो पर प्लास्टर कार्य करना PWD I N 12 3	52x5	0.60		~~0.90~~ 0.70	~~140.40~~ 109.20	sqm	@	197.80	M^2	~~27771.12~~ 21599.76
5	सफेदी कार्य करना 3 कोट में PWD I N 15-3	52×5	0.60		~~0.90~~ 0.70	~~140.40~~ 109.20	sqm	@	20.7	M^2	~~2906.28~~ 2260.44
6	पिलरों में पेन्ट से नम्बर लिखना मय पेन्ट की कीमत	52	–	–	–	–	L.S.	@	50		2600.00
									Total	176406.23	~~183223.43~~
7	जी0एस0टी 12 प्रतिशत									21168.75	~~21986.81~~
										197574.97	~~205210.24~~
									Or say		~~205000.00~~ 197500.00

Checked For Rs. 1975[illegible]/-

Uttarkashi Forest Division
Uttarkashi

वन क्षेत्राधिकारी
धरासू बनराजि

प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग
उत्तरकाशी

Scanned by CamScanner

संलग्नक-07

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–मध्य क्षेत्र)
25 सुभाश रोड, देहरादून–248001
दूरभाशः 0135–2650809
फैक्स–0135–2653010
ईमेल - moef.ddn@gov.in

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE
REGIONAL OFFICE (NORTH CENTRAL ZONE)
25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

पत्र सं0 8बी / यू0सी0पी0 / 06 / 155 / 2019 / एफ0सी0 / 773

दिनांकः 29 / 07 / 2020

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव (वन),
उत्तराखण्ड शासन,
सुभाष रोड, देहरादून।

विषय : **जनपद –उत्तरकाशी में चारधाम परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग–94 (134) कि0मी0 0.00 से 24.300 (धरासू बैंड से सिलक्यारा बैण्ड) तक दो लेन चौड़ीकरण हेतु अतिरिक्त डम्पिंग स्थल एवं लैण्ड स्लाईड जोन के उपचार के लिये 5.969 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु भारत सरकार, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को प्रत्यावर्तन** । (Online no FP/UK/Road/36902/2018)

सन्दर्भः अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या– 862/x-4-19/1(100)/2019 **दिनांक** 03-09-2019

महोदय,

उपरोक्त विषय पर Online Proposal No FP/UK/Road/36902/2018 एवं अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन के सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण पर समय–समय पर राज्य सरकार से आवश्यक जानकारियां / दस्तावेज प्राप्त किये गये, जिनके प्राप्त होने के उपरान्त तथा प्रस्ताव पर Regional Empowered Committee (REC) की दिनांक 24, जुलाई 2020 को हुई बैठक में संस्तुति होने के उपरान्त केन्द्र सरकार **जनपद –उत्तरकाशी में चारधाम परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग–94 (134) कि0मी0 0.00 से 24.300 (धरासू बैंड से सिलक्यारा बैण्ड) तक दो लेन चौड़ीकरण हेतु अतिरिक्त डम्पिंग स्थल एवं लैण्ड स्लाईड जोन के उपचार के लिये 5.969 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु भारत सरकार, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को प्रत्यावर्तन** किये जाने की **सैद्धान्तिक स्वीकृति** निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती हैः–

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।
2. परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।
3. **प्रतिपूरक वनीकरणः**

   क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 11.94 हे0 अवनत वन भूमि नगुनगाड क0 सं0 3बी पर प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल कृषि से बचें।

   ख)वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी.ए. क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत् वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।
4. प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।
5. **शुद्ध वर्तमान मूल्य**

   (क) इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्याः 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1 / 1998–एफ.सी. (Pt. 2) दिनांक 18.09.2003, 5–2 / 2006–एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3 / 2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत **5.969** हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।

   (ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।
6. प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या 154 trees होगी तथा न्यूनतम वृक्षों का पातन किया जायेगा।

29/07/20

संलग्नक – 07

7. It will be the responsibility of the State Govt. / User agency for strict compliance of the decision/conditions/suggestions imposed by the High Powered Committee (HPC) constituted by the MoEF&CC as per the direction of Hon'ble Supreme Court Order dated 08.08.2019 in M.A Nos. 2678-2680 of 2018 in Civil Appeal Nos. 8518-8520 of 2018 And Contempt Petition (c) No. 423 of 2019 in Civil Appeal No. 10930 of 2018.
8- State Government will upload the details of related proposal at para B in Part I.
9- In the SIR, DFO has mentioned that swell factor has not been calculation in MDP. State Government may submit the Muck Disposal Plan duly authenticated by DFO providing the details of muck likely to be generated, muck proposed to be utilized, balance muck for disposal at identified muck disposal sites, swell factor and muck already disposed at the muck disposal sites identified in the approved proposal. The carrying capacity of the Muck Dumping sites proposed along with safety measure and rehabilitation/ eco-restoration plan and distance from river, if any is also required to be intimated.
10- Revised Site Inspection Report of DFO as submitted and discussed in the meeting is required to be uploaded online at para 15 of Part II by the state govt.
11- State Govt. will inform to this office if they pass any order for tree cutting and commencement of work before stage II approval as per guidelines para 11.2. The State Govt. will strictly monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission.
12. परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/ जमा किए जाएंगे।
13. एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।
14. प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सडक के दोनों किनारों एवं उसके बीचों बीच पौंधों की संख्या बढ़ाएगा।
15. संरक्षित क्षेत्रों / वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे।
16. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।
17. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।
18. वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।
19. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।
20. संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।
21. परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।
22. इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ, जो भी कम हो, लक्षित किया जाएगा।
23. वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।
24. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।
25. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11–42/2017–FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।
26. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।
27. परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख–रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।

29/07/20

संलग्नक-07

28. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।

29. अनुपालना रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh.nic/in/) पर अपलोड की जाएगी।

भवदीय,

(सन्नी गोयल)
तकनीकी अधिकारी (वानिकी)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. अपर वन महानिदेशक (एफ0सी0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. आदेश पत्रावली।

(सन्नी गोयल)
तकनीकी अधिकारी (वानिकी)